मेरठ विकास प्राधिकरण

की

80 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 21 –01 –2008

का

मेरठ विकास प्राधिकरण की 80वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21–01–2008 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 80वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21–01–2008 को कार्यालय, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में अपरान्ह 3.00 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नवत उपस्थिति रही:–

1.	श्री देवेन्द्र चौधरी	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	अध्यक्ष
2.	श्री शशि शेखर सिंह	उपाध्यक्ष,मेरठविकास प्राधिकरण, मेरठ	उपाध्यक्ष
3.	श्री अनिल कुमार सागर	जिलाधिकारी, मेरठ	सदस्य
4.	श्री बाबू राम	अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लखनऊ	सदस्य
5.	श्री डी0 सी0 गुप्ता	प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ	सदस्य
6.	श्री अशोक वर्मा	नगर आयुक्त, मेरठ	सदस्य
7.	श्री राजेश नाथ मिश्र	प्रतिनिधि–आयुक्त, एन0 सी0 आर0	सदस्य
8.	श्री एस0 बी0 तिवारी	अपर निदेशक, उद्योग, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ	सदस्य
9.	श्री ज्ञान सिंह	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ	सदस्य
10.	श्री उमेश मित्तल	अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ	सदस्य
11.	श्री राम अधार राम	उप महाप्रबन्धक, विद्युत नगरीय	सदस्य
12.	श्री कृपाल सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम	सदस्य
13.	श्री शैलेन्द्र चौधरी	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	संयोजक

प्राधिकरण की 79 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26.12.2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि

79वीं बोर्ड बैठक की पुष्टि से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा मद सं0 12 पर लोकेशन चार्ज न लिये जाने के सम्बन्ध में जो आपत्ति की गयी थी उस पर गहन विचार–विमर्श हुआ। विचारोपरान्त निर्णय हुआ कि 3 एकड़ से अधिक भूमि को बल्क में विक्रय की कॉस्टिंग में लोकेशन चार्ज नहीं लिया जाय, विक्रय की गयी सम्पत्ति की धनराशि एक मुश्त जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट पूर्व प्राधिकरण की 77 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 4–8–07 में लिये गये निर्णय के कम में अनुमन्य रहेगी। इसके अतिरिक्त फ्री–होल्ड के रूप में 12 प्रतिशत धनराशि की बाध्यता यथावत रहेगी। इस निर्णय के साथ 79वीं बोर्ड बैठक की कार्यवृत्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्राधिकरण की 76 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद सं0 4 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि शताब्दीनगर, गंगानगर एवं रक्षापुरम योजनाओं के लिये सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान के निर्माण हेतु सभी आवश्यक सूचनायें/डाटा आदि प्राप्त करने हेतु जल निगम अपने किसी दक्ष सहायक अभियन्ता को 15 दिन के लिये प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगा। सहायक अभियन्ता–जल निगम, मुख्य अभियन्ता–प्राधिकरण से सम्पर्क कर समस्त सूचनायें प्राप्त करने की कार्यवाही दिनांक 25–2–2008 से पूर्व पूर्ण करेगें, उसके उपरान्त आगामी 3 माह में सीवरेज ट्रीटमैन्ट का कार्य पूर्ण किया जायेगा। उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, प्रगति से बोर्ड को अवगत करायेंगे।

अनुपूरक प्रस्ताव 76 बोर्ड बैठक अनुपालन आख्या

मद सं0 3 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये कि चिन्हित कालौनियों का हस्तान्तरण नगर निगम को दिनांक 25–1–2008 तक सुनिश्चित किया जाये।

प्राधिकरण की 77 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

मद सं0 7 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि मेरठ–दिल्ली व मेरठ–हापुड़ मार्ग के जोडने हेतु जो भूमि प्रयोग की जानी है,

उसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा प्रचलित सर्किल रेट पर प्राधिकरण द्वारा कृषकों से सहमति प्राप्त कर भूमि उपलब्ध करने हेतु कार्यवाही की जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि जो प्राधिकरण की धनराशि अपर जिलाधिकारी–भूमि अध्याप्ति द्वारा अन्य मदों में समायोजित कर ली गयी है, उसका तथा अर्जन व्यय का विस्तृत विवरण आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।

मद संख्या 8 के सम्बन्ध में पूर्व प्राधिकरण की 77 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 4–8–07 के क्रम में शासन को कृषकों से समझौते के अनुरूप प्रतिकर के भुगतान करने के निर्णय को स्वीकृति हेतु संदर्भित प्रकरण में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण द्वारा शताब्दीनगर, लोहियानगर एवं वेदव्यासपुरी योजनाओं में अर्जित भूमि के प्रतिकर के सम्बन्ध में हितबद्ध किसानों से निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 31–1–2008 तक समझौता पत्र भरवा लिया जाये। सचिव इस कार्य हेतु उत्तरदायी होगें।

प्राधिकरण की 78 वीं बार्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद सं0 4 पर प्रस्तुत अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

प्राधिकरण की 79 वीं बार्ड बैठक की अनुपालन आख्याः–

मद सं0 5 व 6 पर प्रस्तुत अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 7 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि चूँकि सरधना, मवाना एवं हस्तिनापुर ऐतिहासिक क्षेत्र रहे है, अतः इनके ऐतिहासिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार की अनुमोदित कन्सलटैन्ट की सूची से उपयुक्त प्रक्रिया अनुसार कन्सलटैन्ट चयनित कर एक माह में डी0पी0आर0 तैयार कराया जाये।

मद सं0 9 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा एसोसियेट् टाउन प्लानर को निर्देश दिये गये कि दिनांक 28–2–2008 तक जोनल प्लान/रोड प्लान तैयार कर लें। स्टाफ की कमी के दृष्टिगत यह कार्य आउटसोर्सिंग के द्वारा करा लिया जाये।

मद सं0 10 पर प्रस्तुत अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 11 के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि बल्क में भूमि विक्रय करने के लिये व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए दिनांक 26–1–2008 तक विज्ञापन प्रकाशित कराया जाय।

मद सं0 12 पर प्रस्तुत अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की जिन कालोनियों की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, उन कब्जा धारकों को प्राधिकरण वर्तमान दर पर आवंटित करते हुए भूमि पर हुए निर्माण को नियमानुसार शमन करने की कार्यवाही करें। न करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करें।

बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा से प्राधिकरण के व्यय का विशेष आडिट करा लिया जाये तथा किसी दक्ष चार्टेट एकाउन्टेन्स से भी प्राधिकरण का आय–व्यय के सम्बन्ध में स्पेशल आडिट करा लिया जाये तथा तिमाही बैलेन्स शीट भविष्य में बनाई जाये, जिससे आय–व्यय की स्थिति स्पष्ट हो सके। साथ ही प्रत्येक बोर्ड बैठक में बजट मदों के सापेक्ष व्यय की स्थिति प्रस्तुत की जाये।

प्राधिकरण की 80 वीं बार्ड बैठक

मद संख्याः–1

ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि ट्रान्सपोर्ट नगर स्थापित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि क्या ट्रान्सपोटर्स उक्त स्थल पर जाने के लिये राजी होंगे या नहीं।

जिलाधिकारी द्वारा ट्रान्सपोटर्स से बैठक कर सहमति ले लें, उसके उपरान्त ही ट्रान्सपोर्ट नगर विकसित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।

मद संख्याः– 2

ऐरा इन्फ्रास्टेक्चर (इण्डिया) लि0 द्वारा प्रस्तावित ''ऐस्पन गार्ड़न टाउनशिप'' बाईपास मेरठ पर तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि तलपट मानचित्र पर मुख्य नगर नियोजक, का प्रमाण–पत्र लगायें कि तलपट मानचित्र में सभी शर्ते पूर्ण हैं तथा जिलाधिकारी द्वारा स्वामित्व व लैण्ड सीलिंग आदि की वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है, की भी पुष्टि की जाये।

मद संख्याः–3

प्राधिकरण की परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में आवंटन परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था

बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि कोई भी भवन/भूखण्ड परिवर्तन नहीं किये जाय। विवाद होने अथवा विकास न होने के सम्बन्ध में आवंटियों की धनराशि किस प्रकार वापस की जाये इस सम्बन्ध में अगले बोर्ड में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

मद सं0–4

मेरठ विकास प्राधिकरण की लोहियानगर योजना के अलोकप्रिय भवनों को बल्क में विक्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव।

इस मद के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि लोहियानगर योजना के अलोकप्रिय भवनों को बल्क में विक्रय किये जाने हेतु भवनों की जो कॉस्टिंग प्रस्तुत की गयी है, वह अपूर्ण है। पुनः कॉस्टिंग कराकर अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

मद सं0 5

मेरठ विकास प्राधिकरण की श्रद्धापुरी आवासीय योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में निविदा–सह–नीलामी पद्धति से किश्तों पर आवंटित ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड सं0 जी0एच0–1 व जी0एच0–2 के निमित एक मुश्त भुगतान पर देय धनराशि पर 2 प्रतिशत की छूट दिये जाने विषयक प्रस्ताव।

उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि दिनांक 31–1–2008 तक भारतीय जीवन बीमा निगम भूखण्डों की रजिस्ट्री करा लें।

मद सं0–6

दिल्ली रोड पर निर्मित बारात घर को शमन किये जाने के सम्बन्ध में ।

बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उक्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।

मद सं0–7 : अन्य बिन्दुः–

(1) प्राधिकरण में प्राप्त मानचित्रों के निस्तारण की स्थिति का अवलोकन किया गया, स्थिति संतोषजनक पायी गयी तथा निर्देश दिये गये कि अनावश्यक रूप से मानचित्र को रोका ना जाय।

(2) इसी प्रकार प्राधिकरण के कर्मचारियों की सूची का अवलोकन किया गया। यह निर्देश दिये गये कि बिना स्वीकृत पद के जिन उपाध्यक्ष एवं सचिव के कार्यकाल में कर्मचारी रखे गये है उनके विषय में सम्पूर्ण सूचनाओं के साथ शासन को उनके विरूद्ध बृहद दण्ड के लिये पत्र लिखा जाये।

(3) अवैध कालोनियों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि हापुड–पिलखुआ विकास प्राधिकरण द्वारा जिस प्रकार की सूचना उपलब्ध करायी गयी है, उसी प्रकार सूचना बनाकर आगामी बोर्ड बैठक में रखी जाये।

(4) यह भी निर्णय हुआ कि एक पूर्व प्रकरण में जिस बिल्डर द्वारा प्राधिकरण की आवासीय भवनों को बल्क में खरीदा गया था परन्तु प्राधिकरण को सम्पूर्ण धनराशि अदा नहीं की गयी है तथा यह भी ज्ञात हुआ है कि बिल्डरं द्वारा भवनों को अन्य पार्टी को विक्रय कर दिया गया, उक्त बिल्डर के विरूद्ध एफ0आई0आर0 करायी जाये तथा आवंटन निरस्त कर विक्रय की गयी सम्पत्ति पर प्राधिकरण कब्जा प्राप्त करें ।

(5) ऑल इंडिया स्पोंटस गुड्स द्वारा मोहिद्दीनपुर के निकट स्पोंटस गुड्स उद्योग का स्पेशल इकोनोमिक जोन बनाने हेतु बोर्ड द्वारा विचार किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए स्पोंटस गुड्स उद्योग हेतु स्पेशल इकोनोमिक जोन बनाने के लिये मोहिददीनपुर एवं उसके आस–पास के लगभग 250 एकड भूमि का भू–उपयोग कृषि से एस0ई0जेड0 में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया साथ ही 250 एकड भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव तत्काल शासन को भेजे जाने हेतु निर्णय लिया गया ।

(6) निर्णय लिया गया कि मेरठ शहर के सर्वागण विकास हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण के उत्तरदायित्व के क्रम में जे0एन0आर0यू0एम0 के तहत लगभग रूपये 1000 करोड़ के डी0पी0आर0 प्राधिकरण द्वारा प्राथमिकता के आधार बनवाई जाये तथा इसके लिए भारत सरकार से धन की व्यवस्था की जाये।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

(शैलेन्द्र चौधरी)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(शशि शेखर सिंह)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(देवेन्द्र चौधरी)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,